दौलतसिंह बनाम [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
28-11-22	[illegible] वकुलाय उभय पक्षकारान उप० वकील प्रार्थीगण श्री [illegible] अपने तर्क [illegible] है। अप्रार्थी के अंतिम अवसर दिया जाता है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 30-11-22 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
30.11.2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहु पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट पत्रावली दिनांक 15.12.2022 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
15.12.2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में बहुपक्षीय सुनी जा चुकी है। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। प्रकरण में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 15/12/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.16 16:48:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	सीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
04/2014	2014/00266	20.03.2014	16.12.2022

उनवान प्रकरण

1. दौलतसिंह पुत्र बचनसिंह आयु 60 वर्ष
2. सीता कंवर पत्नि दौलसिंह आयु 56 वर्ष

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम लिसाड़ियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—प्रार्थीगण

बनाम

1. कल्याणसिंह पुत्र उगमसिंह उर्फ अभयसिंह आयु 52 वर्ष
2. रोहतानसिंह पुत्र नारायणसिंह आयु 70 वर्ष

समसत जाति राजपूत निवासीगण ग्राम लिसाड़ियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
4. उपपंजियक, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
5. पटवारी हल्का फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
6. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मुण्डरू जरिये मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

—अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थित:–

श्री सरदार सिंह कुड़ी प्रथम, एड0 प्रार्थीगण अभिभाषक।

श्री जितेन्द्र कुमार गौड़, एड0 [illegible] अभिभाषक।

श्री विक्रम सिंह बांकावत, एड0 अप्रार्थी सं0 2 [illegible] अभिभाषक।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.16 16:48:02 IST
Reason: SelfAttested

15/12/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1051 रकबा 1.07 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 1061 रकबा 0.06 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 1062 रकबा 0.99 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.12 है.0 तन ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित है। जिसके राजस्व रिकार्ड में 1/4 हिस्सा की खातेदारी प्रार्थी नम्बर 1 के व 1/8 हिस्सा की खातेदारी प्रार्थीया नम्बर 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं तथा 1/4 हिस्सा की खातेदारी अप्रार्थी नम्बर 3 के गलत नाम शैतानसिंह पुत्र नारायणसिंह दर्ज हैं। जबकि उक्त 1/4 हिस्सा अप्रार्थीगण नम्बर 3 का सही नाम रोहतानसिंह पुत्र नारायणसिंह सही दर्ज होना चाहिए व अप्रार्थी नं. 3 के अलग से 1/8 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड सही नाम से हैं तथा उक्त भूमि मे शेष 1/4 हिस्सा उगमसिंह पुत्र कानसिंह के गलत नाम से दर्ज है। जबकि इसका सही नाम अभयसिंह पुत्र मंगेजसिंह पुत्र कानसिंह सही नाम दर्ज होना चाहिए। उक्त उभयसिंह मृतक अप्रार्थी नम्बर 1 का पिता है तथा उक्त अप्रार्थी नम्बर 1 का 1/4 हिस्सा की भूमियो पर कोई कब्जा काश्त नही होकर इस 1/4 हिस्से की भूमि पर भी प्रार्थी नम्बर 1 व अप्रार्थी नम्बर 2 का बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। भूमि खसरा नम्बर 1063 रकबा 1.06 है0 तन ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित है। जिसके 1/2 हिस्सा की खातेदारी प्रार्थी नम्बर 1 के व 1/2 हिस्सा की खातेदारी अप्रार्थी नम्बर 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा इसी हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त में चले आ रहे हैं। उक्त भूमि खसरा नम्बर 1051, 1061, 1062 कुल किता 3 कुल रकबा 2.12 हैक्टर तन ग्राम फुटाला पटवार हल्का फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित है। जिसमें अप्रार्थी नम्बर 1 के मृतक पिता उगमसिंह उर्फ अभयसिंह

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.16 16:48:02 IST
Reason: SelfAttested

15/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

तथा उसका भाई ईश्वरसिंह का 1/2 हिस्सा था। उक्त 1/4 हिस्सा संपूर्ण को प्रार्थी नम्बर 1 व अप्रार्थी नम्बर 2 जो कि संयुक्त परिवार में रहते हुये इसका मुआवजा देकर उक्त 1/2 हिस्से पर द्वितिय सैटलमेन्ट के समय से मौके पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है तथा उक्त 1/2 हिस्से में से अर्थात संपूर्ण में से 1/4 हिस्से की भूमि का अन्तरण लेख प्रार्थी नम्बर 1 द्वारा अपनी पत्नि प्रार्थीया नम्बर 2 के हक में व अप्रार्थीगण नम्बर 2 के हक में बहिस्सा बराबर ईश्वरसिंह द्वारा प्रार्थीया को किया गया। जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में हो चुका है तथा अप्रार्थी नम्बर 1 के मृतक पिता अभयसिंह का राजस्व रिकार्ड में गलत नाम उगमसिंह व पिता का नाम मंगेजसिंह के बजाय कानसिंह जो कि अभयसिंह के दादा थे गलत इन्द्राज होने के कारण खातेदारी का अन्तरण लेख प्रार्थी नम्बर 1 व अप्रार्थी न. 2 के हक में उक्त 1/4 हिस्से का नही हो सका था। जबकि वादग्रस्त भूमियों में अप्रार्थी नम्बर 1 के मृतक पिता अभयसिंह उर्फ उगमसिंह के नाम दर्ज उक्त 1/4 हिस्से के भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त प्रार्थी नम्बर 1 व अप्रार्थी नम्बर 2 का बहिस्सा बराबर पूर्वकाल से चला आ रहा है। जिसके सम्पूर्ण खातेदारी अधिकार बहिस्सा खातेदार विरूद्ध अप्रार्थी नम्बर 2 व उसके मृतक पिता के प्रार्थी को [illegible] हो चुके हैं। जिसकी खातेदारी प्रार्थी अपने नाम दर्ज करवाने का कानूनन अधिकारी है। प्रार्थी नम्बर 1 द्वारा व अप्रार्थीगण के पूर्वज एक ही होकर एक ही परिवार के सदस्य रहे है तथा आपसी विश्वास के कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की उक्त वर्णित भूमियों को अप्रार्थी नं. 1 के मृतक पिता अभयसिंह उर्फ उगमसिंह के जीवनकाल में ही अप्रार्थी नम्बर 1 की जानकारी में उक्त वादग्रस्त 1/4 हिस्से को खातेदारी अधिकारो की मुआवजा राशि देकर प्रार्थी नम्बर 1 व अप्रार्थी नम्बर 2 द्वारा उक्त 1/4 हिस्से का कब्जा मौके [illegible] सैटलमेन्ट के पूर्व से ही मौके पर काबिज काश्त होकर निरन्तर र्निविघ्न मौके पर अपने शेष हि[illegible] सम्पूर्ण भूमियों पर काश्त करते चले आ रहे है तथा 1/4 हिस्सा जो अप्रार्थी नम्बर [illegible] मृतक पिता अभयसिंह उर्फ उगमसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड है कि खातेदारी प्रार्थी [illegible] 1 के 1/4 हिस्से मे से 1/2

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

15/12/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.16 16:48:02 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा व अप्रार्थी नम्बर 2 के 1/4 हिस्सा मे से 1/2 हिस्से की खातेदारी की उद्घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। उक्त वर्णित भूमियों में अप्रार्थी नम्बर 1 के मृतक पिता का नाम व वल्दीयत गलत अंकित उगमसिंह पुत्र कानसिंह कर रखा है। जो कि अभयसिंह पुत्र मंगेजसिंह पुत्र कानसिंह सही दर्ज किया जाकर दुरूस्ती की घोषणा किया जाकर इनके नाम दर्ज 1/4 हिस्से में प्रार्थी नम्बर 1 को 1/2 हिस्से का व अप्रार्थी नम्बर 2 को 1/2 हिस्से का काबिज काश्त खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है तथा इस भूमि में प्रार्थीया नम्बर 2 का नाम सीता कंवर पत्नि दोलतसिंह को गलत रूप से लीला कंवर पत्नि दोलतसिंह हिस्सा 1/8 गलत अंकित कर रखा है। जिसको दुरूस्त किया जाकर सीता कंवर पत्नि दोलतसिह हिस्सा 1/8 सही दर्ज किया जाना न्यायोचित है। उक्त वर्णित भूमियों में से प्रार्थी नम्बर 1 अपने हिस्से 1/4 व 1/8 कुल 3/8 हिस्से को मौके पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है तथा 1/8 हिस्से को प्रार्थीया नम्बर 2 मौके पर काबिज काश्त करती चली आ रही है तथा अप्रार्थी नम्बर 2 अपने हिस्से 1/4 व 1/8 व 1/8 हिस्सा कुल 1/4 हिस्से पर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थी नम्बर 2 के अलावा उक्त वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी नम्बर 1 के मृतक पिता के कोई हक अधिकार व कब्जा काश्त नही रहा था तथा न ही अप्रार्थी नम्बर 1 को कोई सरोकार उक्त भूमियों में है तथा इस हिस्से अनुसार खातेदारी की घोषणा करवाकर प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमियों का वर्तमान में शामिल में काश्त किया जाना कठिन व पेचिदा होने के कारण तथा आये आये दिन के वाद विवाद के निपटारा करने के लिये उक्त भूमियों का बंटवारा भी प्रार्थीगण करवाने के कानूनन अधिकारी है। उक्त वर्णित भूमियों में अप्रार्थी नम्बर 1 के मृतक पिता का सही नाम के बजाय गलत अंकित इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर उक्त 1/4 हिस्से में से 1/2 हिस्से की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने बाबत् कहा तो अप्रार्थी नम्बर 1 आश्वासन देता रहा तथा टालता रहा तथा वर्तमान में भूमियों की बढती हुई किमतो को देखकर अप्रार्थी नम्बर 1 के मन में बदनियति

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.16 16:48:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

15/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

पैदा हो गई तथा उक्त भूमि की खातेदारी प्रार्थी के हक में करवाने से आनाकानी करने व टालमटोल करने लगा तथा अपने गलत उद्देश्य कि पूर्ती करने के लिये दिनांक 28.02.2014 को वादग्रस्त भूमियों में मौके पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में मजाहमत करने की कोशिश की तो गांव के अन्य मौजिज व्यक्तियों द्वारा उसको ओलमा दिया तो अप्रार्थी नम्बर 1 ने दिनांक 01.03.02014 को 100/–रूपये के स्टाम्प पर वादग्रस्त भूमियों में अपना हक हिस्सा नही होना स्वीकार कर उक्त भूमियों की खातेदारी परिवर्तन अपने व अपने मृतक पिता के बजाय 1/4 हिस्से को प्रार्थी नम्बर 1 व अप्रार्थी नम्बर 2 के हक में बहिस्सा बराबर करवाने का इकरारनामा बतौर याददाश्त निष्पादित करवाकर दिया। इसलिये भी प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमियों में दर्ज अप्रार्थी नम्बर 1 के मृतक पिता के बजाय खातेदारी 1/4 मे से 1/2 हिस्सा अपने नाम व 1/4 मे से 1/2 हिस्सा अप्रार्थी नम्बर 2 के नाम दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है। उक्त वर्णित भूमियों का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाकर व अप्रार्थी नम्बर 2 को रिकार्ड दुरूस्त के उपरान्त तकास्मा करवाने के लिये कहा तो वह पहले तो आश्वासन देते रहे परन्तु अब भूमियों की बेतहाशा बढ़ती कीमते देखकर अप्रार्थीगण नम्बर 1 व 2 के मन में बेईमानी पैदा हो गई और अब अर्सा 5 रोज पूर्व बिल्कुल इंकार कर दिया और प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत करने, बेदखल करने एवं कब्जा करने एवं दीगर व्यक्ति को बिना रिकार्ड दुरूस्त कराये अप्रार्थी नम्बर 1 द्वारा गलत खातेदारी की आड में व अप्रार्थी नम्बर 2 द्वारा बिना तकास्मा करवाये बेचान करने की धमकी देने के कारण माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। उक्त वर्णित भूमियों का राजस्व रिकार्ड परिवर्तन बाबत दिनांक 05.03.2014 को कहा की तहसील कार्यालय में चल कर रिकार्ड दुरूस्त करवाकर [illegible] तो अप्रार्थी नम्बर 1 द्वारा स्पष्ट इंकार कर दिया तथा धमकी [illegible] अप्रार्थी नम्बर 2 उक्त भूमियों को गलत राजस्व रिकार्ड की आड में व बिना [illegible] कराये दीगर भूमाफिया लोगो को बेचान करके प्रार्थी के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा कर प्रार्थी को बेदखल कर देंगे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.16 16:48:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

मौका स्वरूप को तब्दील कर देगे तथा भूमि के विशिष्ठ भू भाग पर कब्जा करवाकर भूमि को कृषि भूमि से अकृषि भूमि में तब्दील करवा देगे। प्रार्थीगण को बरबाद कर देंगे अगर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमियों में से बेदखल कर देंगे भूमियों को अन्तरण कर देंगे तो अन्य दीगर मुकदमेबाजी बढ जायेगी। प्रथम दृष्टवा मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति बखुबी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है तथा यदि अप्रार्थीगण अपने उक्त बेजा मकसद मे कामयाब हो जावेगे तो प्रार्थीगण को इस कदर क्षति होगी जिसकी पूर्ति होना किसी भी सूरत में बाद मे संभव नही होगी। इस कारण प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को तादौराने वाद जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में किया है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण नं. 1 लगायत 2 की ओर से श्री विकम सिंह बांकावत व श्री जितेन्द्र गौड़ एड0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश की। अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 6 की नोटिस तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर दिये जाने तथा अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से प्रकरण को अन्तिम बहस में लिया गया। वकील अप्रार्थीगण ने प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया। जिस पर वकील प्रार्थीगण ने बहस हेतु सहमति व्यक्त की। वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति पर प्रकरण को बहस हेतु नियत कर [illegible] बहस सुनी गई।

प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्ष [illegible] सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमियॉ प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.16 16:48:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

है। जिसके 1/2 हिस्सा पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है तथा 1/4 हिस्सा पर अप्रार्थी संख्या 2 काबिज काश्त है तथा शेष 1/4 हिस्सा की खातेदारी उगमसिंह पुत्र कानसिंह के नाम गलत दर्ज चली आ रही है। जबकि उगम सिंह के पिता का नाम मंगेजसिंह था तथा कानसिंह अभयसिंह के दादा का नाम था। उगमसिंह का वास्तविक नाम अभयसिंह पुत्र मंगेज सिंह पुत्र कानसिंह है तथा अप्रार्थी संख्या 2 का नाम शैतानसिंह पुत्र नारायण सिंह गलत दर्ज चला आ रहा है जबकि शैतानसिंह का सही नाम रोहतान सिंह पुत्र नारायण सिंह सही नाम है। वही प्रार्थीया नम्बर 2 का नाम सीता कंवर पत्नि दौलत सिंह राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से लीला कंवर पत्नि दौलतसिंह हिस्सा 1/8 गलत दर्ज कर रखा है। जिसको दुरूस्त किया जाकर सीता कंवर पत्नि दौलतसिंह हिस्सा 1/8 सही दर्ज किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण अपने नाम दर्ज गलत खातेदारी की आड़ में जमीनों का बैचान कर रहे है जिसके कारण अनावश्यक विवाद बढ़ने की सम्भावना है। इसलिए अप्रार्थीगण को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में न्यायालय द्वारा जारी अंतरीम स्थगन आदेश दिनांक 20.03.2019 को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक कंर्फम किए जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीगणों ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए वकील अप्रार्थी सं. 1 ने कथन किया कि उक्त वादग्रस्त आंराजी भूमि खसरा नम्बर 1051, 1061, 1062 कुल किता 3 कुल रकबा 2.12 हैक्टर तन् फुटाला के 1/4 भाग पर अप्रार्थी सं. 1 पूर्णतया काबिज काश्त है। उक्त 1/4 हिस्से की खातेदारी में उगमसिंह पुत्र कानसिंह का नाम चला आ रहा है जो गलत है। जिसका सही नाम अभयसिंह पुत्र मंगेजसिंह पुत्र कानसिंह सही नाम होना चाहिए था। उक्त भूमि के खातेदारान के [illegible] वाद [illegible] को पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। वही वकील अप्रार्थी सं. 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अवगत कराया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.16 16:48:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अप्रार्थी नम्बर 2 का सही नाम रोतानसिंह पुत्र नारायण सिंह है। इसी नाम से नामान्तकरण दर्ज हुआ था किन्तु रोतानसिंह को राजस्व कर्मचारियो द्वारा शेतानसिंह पढा जाने के कारण राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 2 का नाम शेतानसिंह दर्ज हो गया। जिसके संबंध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर को दिए गए प्रार्थना पत्र दिनांक 03.04.2014 के आधार पर शुद्धि पत्र संख्या–3 दिनांक 24.01.2013 के द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1063 को राजस्व रिकार्ड अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में शुद्ध होकर शैतानसिंह के स्थान पर रोतान सिंह दुरूस्त हो चुका है किन्तु भूमि खसरा नम्बर 1051, 1061, 1062 कुल किता 3 कुल रकबा 2.12 हैक्टर के अप्रार्थी सं. 2 के हिस्से का राजस्व रिकार्ड राजस्व कर्मचारियों द्वारा अभी तक दुरूस्त नही किया। जिसका नाजायज एवं अवैध फायदा उठाने की बदनियति से प्रार्थीगण ने नितांत आधार पर उक्त वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया हैं। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का कोई हक अधिकार नही है। अप्रार्थी सं. 2 अपने हिस्से की भूमि का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाकर उक्त भूमियों पर अपने हिस्से पर ऋण धन लेकर (सहकारी सहायता प्राप्त करके) उक्त भूमियों को अपनी आवश्यकतानुसार विकसीत करना चाहता है तथा उपयोग–उपभोग करना चाहता है। जिसे अवैध तरीके से रोकने के लिए तथा राजस्व कर्मचारी उक्त राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त न कर सके। इसलिए नितांत मलिन आशय से उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण नम्बर 2 के मध्य अर्सा कदीम बाह्मी बंटवारा हो चुका है। बाह्मी बंटवारे में उक्त भूमि खसरा नम्बर 1063 रकबा 1.06 है0 संपूर्ण एवं भूमि खसरा नम्बर 1051, 1061, 1062 मे से 0.63 हैक्टर इस प्रकार कुल 1.69 हैक्टर भूमि अप्रार्थी सं. 2 के हक हिस्से एवे कब्जे काश्त में आई हुई है। प्रार्थीगण उक्त प्रार्थनापत्र अ0 नि0 की आड़ में उत्तरदाता को अपनी भूमियों को विकसित करने एवं [illegible] गलत तरीके से रोकना चाह रहे है। जिसका प्रार्थीगण को किसी किस्म का हक [illegible] प्राप्त नही होने से प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टवा मामला, सुविधा का संतुलन, अपू[illegible] क्षति किसी भी सूरत में संभव

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.16 16:48:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किये जाने का निवेदन वकील अप्रार्थीगणों के द्वारा अपनी बहस में किया है।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2069–2072, आपसी इकरारनामा लेख दिनांक 01.03.2014 का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में दर्ज वादग्रस्त आराजी भूमियों की खातेदारी मुताबिक जमाबंदी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। अप्रार्थी नम्बर 2 का सही नाम शैतान सिंह पुत्र नारायण सिंह नहीं होकर सेतानसिंह पुत्र नारायण सिंह होना तथा प्रार्थी संख्या 2 का सही नाम लीला कंवर पत्नि दौलतसिंह नहीं होकर सीता कंवर पत्नि दौलत सिंह होना रिकार्ड से प्रकट होता है। प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 आपस में सगे भाई होकर नारायण सिंह के जाइन्दा पुत्र होना तथा प्रार्थी संख्या 1 के बचन सिंह के गोद चले जाना प्रकट होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को दिए गए प्रार्थना पत्र दिनांक 03.04.2014 के आधार पर शुद्धि पत्र संख्या –3 दिनांक 24.01.2013 के द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1063 को राजस्व रिकार्ड अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में शुद्ध होकर शैतानसिंह के स्थान पर सेतान सिंह दुरूस्त होना प्रकट होता है। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से भी वर्तमान में वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रमाणित होता है। प्रार्थीया संख्या 2 व अप्रार्थी संख्या 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रकिया मूल वादपत्र में बाद सुनवाई व साक्ष्य के उपरान्त खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाकर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की कार्यवाही होती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित पक्षकारान् मुताबिक जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार इन्द्राज चले आ रहे है। इस स्थिति में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किसी भी खातेदार काश्तकार को किसी भी

15/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.16 16:48:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना कतई न्यायोचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थीगण के साथ–साथ अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के वादग्रस्त आराजी भूमियों में खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के साथ–साथ अप्रार्थीगण के पक्ष में भी होना पाया जाता है। चूंकि प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में होना पाया जाता है तो सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धांत भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में भी होना पाया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा से किसी भी सुरत में पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाए जाने पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 20.03.2019 को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.16 16:48:02 IST
Reason: SelfAttested

15/12/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 15.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/12/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)